

NPPA द्वारा दवा की कीमतों में संशोधन

स्रोत: पीआईबी

हाल ही में, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत आठ औषधियों के ग्यारह अनुसूचि फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्यों में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी है।

- ये दवाएँ अस्थमा, गलकोमा, थैलेसीमिया, कषय रोग और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के उपचार के लिये निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):

- एनपीपीए का गठन वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था।
- एक स्वतंत्र नियामक जो दवाओं की कीमतें निर्धारित करता है और उनकी उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करता है।
- इसे औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और औषधि एवं परसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से प्राधिकार प्राप्त है।
- एनपीपीए दवाइयों की कीमतों की जानकारी और सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने के लिये 'फार्मा सही दाम' और 'फार्मा जन समाधान' प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है।
 - फार्मा निर्माताओं से ऑनलाइन सूचना एकत्र करने के लिये एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 (IPDMS) को क्रियान्वित किया जा रहा है।

और पढ़ें: भारतीय दवाओं की नियामक चुनौतियाँ